न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(टीना डाबी,आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 17/2026
प्रविष्टि दिनांक 19.02.2026

रामजीलाल पुत्र पांचूराम जाति बैरवा निवासी कुम्हारियावास तहसील चाकसू जिला जयपुर राज.

—अपीलान्ट

बनाम

1—भागूता पुत्र लाखा जाति गुर्जर निवासी रहड तहसील निवाई जिला टोंक
2—रामअवतार पुत्र जगदीश जाति गुर्जर निवासी नोहटा तहसील निवाई जिला टोंक
3—प्रदीप पुत्र रामकिशोर जाति रैगर निवासी जामडोली तहसील निवाई जिला टोंक
4—पांचू पुत्र बालू जाति रैगर निवासी नोहटा तहसील निवाई जिला टोंक
5—रामजीलाल पुत्र उद्दा जाति रैगर निवासी जामडोली तहसील निवाई जिला टोंक
6—लक्ष्मण पुत्र श्योनाथ जाति बैरवा निवासी बैरवा की ढाणी नोहटा तहसील निवाई
7—रामदयाल पुत्र जगदीश जाति जाट निवासी नोहटा तहसील निवाई जिला टोंक
8—लक्ष्मण पुत्र उद्दा जाति रैगर निवासी जामडोली तहसील निवाई जिला टोंक
9—मोहन पुत्र बजरंगलाल जाति खटीक निवासी जामडोली तहसील निवाई जिला टोंक
10—रामजीलाल पुत्र किस्तूरा जाति खटीक निवासी जामडोली तहसील निवाई जिला टोंक
11—आशु पुत्र गणपत जाति खटीक निवासी जामडोली तहसील निवाई जिला टोंक
12—महेश पुत्र गणपत जाति खटीक निवासी जामडोली तहसील निवाई जिला टोंक
13—विष्णु पुत्र गणपत जाति खटीक निवासी जामडोली तहसील निवाई जिला टोंक
14—काली पत्नी गणपत जाति खटीक निवासी जामडोली तहसील निवाई जिला टोंक

—रेस्पोडेण्ट्स

अपील विरूद्ध निर्णय न्यायालय तहसीलदार निवाई दिनांक 01.10.2025 अन्तर्गत धारा 183 बी राजस्थान टिनेन्सी एक्ट प्रकरण उनवानी रामजीलाल बनाम भागूता आदि

उपस्थिति : (1) श्री लादूलाल यादव,अभिभाषक अपीलांट
(2) श्री सवाईसिंह,अभिभाषक रेस्पोडेण्ट संख्या—7

निर्णय **दिनांक 02.06.2026**

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अपीलांट ने तहसीलदार निवाई के समक्ष दिनांक 15.01.2025 को आराजी खसरा नम्बर 1040/9,1040/12 व 1043/23 कुल किता—3 कुल रकबा 3.0351 है.वाके ग्राम नोहटा के संबंध मे आवेदन अन्तर्गत धारा 183 बी राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किये जाने पर तहसीलदार निवाई द्वारा अपने निर्णय दिनांक 01.10.2025 से प्रस्तुत आवेदन को अस्वीकार किया गया है। अपीलाण्ट ने

जिला कलेक्टर
टोंक

तहसीलदार निवाई के उक्त आदेश को विधि विधान एंव तथ्यो को प्रतिकूल बताते हुए निरस्त करने हेतु यह अपील प्रस्तुत की है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट्स जरिये सम्मन की गई। अपीलाधीन आदेश की पत्रावली तलब की गयी। रेस्पो. संख्या 1 ता. 6 व 8 ता.14 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्व एक तरफा कार्यवाही की गई। प्रकरण में बहस अभिभाषक अपीलांट एंव अभिभाषक रेस्पो. संख्या–7 सुनी गई।

अभिभाषक अपीलान्ट ने दौराने बहस अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुये निवेदन किया कि अपीलांट ने दिंनाक 15.01.2025 को आवेदन अन्तर्गत धारा 183 बी राज.टि.एक्ट के तहत रेस्पोडेण्ट्स के विरूद्ध इस आशय का पेश किया था कि खसरा नम्बर 1040/9, 1040/12 व 1040/23 वाके ग्राम नोहटा तहसील निवाई में स्थित है,जो अपीलांट की खातेदारी में है। जिस पर विपक्षीगण ने बिना किसी अधिकार के अपीलांट की सहमति के बिना कब्जा कर रखा है,इसलिए उन्हें बेदखल कर अपीलांट को कब्जा दिलवाया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने मोके की रिपोर्ट हल्का पटवारी, गिरदावर से तलब कर बाद जांच अपीलांट का आवेदन दिनाक 01.10.2025 को खारिज कर दिया। अपीलाधीन आदेश को देखने मात्र से ही यह स्पष्ट हो जाता है कि तहसीलदार निवाई ने अपीलांट के आवेदन को खारिज करने का मन बना लिया था। तहसीलदार निवाई इस प्रकरण में एक न्यायाधीश की हैसियत से कार्य कर रहे थे तथा जहां कोई न्यायाधीश द्वारा न्यायिक कार्य किया जाता है तो उससे यह अपेक्षा की जाती है कि वह उक्त पत्रावली में मौजूद दस्तावेजों का तथा विधायका द्वारा बनाये कानून का न्यायिक मस्तिष्क का उपयोग करते हुए कार्यवाही करेगा,परन्तु तहसीलदार निवाई का इस प्रकरण में आचरण इस विधि शास्त्र के सिद्धान्त के ठीक विपरीत प्रतीत होता है। चार पृष्ठ के निर्णय में मात्र चार पंक्ति में अपने विवेचन को आधार मानकर आवेदन खारिज किया है। तहसीलदार निवाई ने अपने निर्णय का एक मात्र आधार यह लिया है कि यदि विपक्षीगण का कब्जा आवेदन पेश करने से 6 माह पूर्व का होता तो दिनांक 23.07.2024 को पत्थरगढी का कार्य शान्तिपूर्ण सम्पन्न नहीं होता अर्थात तहसीलदार निवाई ने परोक्ष रूप से यह माना है कि विवादित भूमि पर अपीलांट का ही कब्जा है। जिसे पढ़कर स्वंय अपीलांट अचम्बित है, क्योंकि मौके पर कब्जा विपक्षीगण का है इस बाबत पत्रावली में दस्तावेजी साक्ष्य भी मौजूद था। तहसीलदार निवाई ने इस प्रकरण में दिनाक 22.04.2025 को हल्का पटवारी व गिरदावर से मौका रिपोर्ट मंगवायी थी,जिसमें कब्जा विपक्षीगण का आया है। ऐसा लगता है कि तहसीलदार निवाई इस मानसिकता के है कि कब्जे को लेकर जब तक आदमी मर नहीं जावे तथा क्षेत्र में अशान्ति उत्पन्न नहीं हो जावे तब तक 183 बी में आदेश करना उचित नहीं समझते है। उनकी उक्त मानसिकता अनुसूचित जाति वर्ग के लिए तथा शान्ति व्यवस्था के लिए घातक है। तहसीलदार निवाई ने किस प्रकार व किस दस्तावेज से अपीलांट का कब्जा माना। तहसीलदार निवाई द्वारा पारित निर्णय स्पीकिंग आर्डर की परिभाषा में नहीं आता है।अपीलाधीन आदेश दिंनाक 01.10.2025 की जानकारी अपीलांट को समय पर नहीं हो सकी थी,क्योंकि अपीलांट के अधिवक्ता ने अपीलांट को आश्वत कर रखा था कि उसको हर तारीख पेशी पर आने की आवश्यकता नहीं है। मोबाईल पर जानकारी लेते रहना । माह सितम्बर 2025 में अपीलांट का मोबाईल खराब हो गया था तथा सारे नम्बर डिलिट हो गये थे उक्त आदेश की जानकारी अपीलांट को सर्व प्रथम जनवरी 2026 के दूसरे सप्ताह में तब हुई जब अपीलांट अपने अधिवक्ता के पास टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)

जिला कलक्टर
टोंक

आयां तब उन्होने कहा कि उनका निर्णय अक्टूबर 2025 में ही हो गया है। इस पर नकल हेतु आवेदन किया । नकल दिंनाक 13.02.2026 को प्राप्त हुई। इसके बाद यह अपील पेश की है। इसलिए अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ किये जाने हेतु पृथक से धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलांट को उक्त भूमि पर कब्जा दिलवाया जाना न्यायोचित है।

अभिभाषक रेस्पोडेण्ट संख्या–7 ने जवाबी बहस मे कथन किया कि उक्त भूमि पर मेरा कब्जा काश्त नही है। अतः प्रकरण का गुणावगुण के आधार पर निस्तारण किये जाने का निवेदन किया।

हमने अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं अपीलाधीन आदेश की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। नकल जमाबंदी सम्वंत 2073–76 वाके ग्राम नोहटा तहसील निवाई मे आराजी खसरा 1040/12,1040/23 व 1040/9 कुल किता–3 कुल रकबा 3.0351 है. भूमि अपीलांट की खातेदारी मे दर्ज है। अपीलाण्ट का उक्त भूमि पर कब्जा होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट का आवेदन अन्तर्गत धारा 183 बी राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 अस्वीकार किया गया है।

अभिभाषक अपीलांट का तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट का कब्जा मानकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत धारा 183 बी राज.काश्तकारी अधिनियम 1955 को दिनांक 01.10.2025 को अस्वीकार किया गया है। अपीलांट अनुसूचित जाति का सदस्य है। पटवारी हल्का नोहटा व भू0अ0नि0नोहटा ने उक्त आराजी पर रेस्पो. का कब्जा माना है।

अपीलांट की उक्त खातेदारी की भूमि पर रेस्पोडेण्ट्स द्वारा तारबंदी गाढकर लगभग 8–10 वर्ष से अधिक समय से कब्जा काश्त करना पटवारी हल्का नोहटा व भू0अ0नि0 नोहटा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 02.05.2025 से जाहिर है तथा इससे सिद्व है कि अपीलांट की खातेदारी भूमि पर रेस्पोडेण्ट्स बिना किसी वैधानिक अधिकार के अनाधिकृत रूप से काबिज है। अपीलाण्ट अनुसूचित जाति व रेस्पो. संख्या 1,2 व 7 सामान्य जाति के सदस्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 01.10.2025 मे "इससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि आवेदन प्रस्तुत दिनांक से छः माह पूर्व अगर विपक्षीगण का कब्जा होता तो दिनांक 23.07.2024 को राजस्व टीम द्वारा उक्त भूमि का सीमाज्ञान/पत्थरगढी का कार्य शान्तिपूर्ण सम्पन्न नही होता का उल्लेख किया है।" परन्तु पटवारी हल्का नोहटा व भू0अ0नि0 नोहटा ने अपनी रिपोर्ट मे रेस्पो. का कब्जा काश्त गत 8–10 वर्ष से होना अंकित किया है। तहसीलदार निवाई ने अपने निर्णय में पटवारी हल्का/ भू0अ0नि0 की रिपोर्ट को नजरअंदाज किया है जबकि कब्जा–काश्त के प्रमाण हेतु पटवारी हल्का/भू0अ0नि0 की रिपोर्ट एक पुख्ता साक्ष्य है। इस प्रकार हम अधीनस्थ न्यायालय के तर्क से सहमत नही है। उक्त विवेचन से रेस्पोडेण्ट्स का अपीलांट की खातेदारी की भूमि पर अनाधिकृत रूप से कब्जा/अतिक्रमण है जो राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183 (बी) के तहत अतिचारी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर तहसीलदार निवाई का निर्णय दिनांक 01.10.2025 को निरस्त किया जाता है और तहसीलदार निवाई को निर्देशित किया जाता है

जिला कलक्टर
टोंक

न्यायालय जिला कलक्टर टोंक (राजस्थान)

कि अपीलांट की आराजी खसरा नम्बर 1040/9,1040/12 व 1043/23 कुल किता–3 कुल रकबा 3.0351 है.वाके ग्राम नोहटा पर से रेस्पो. को बेदखल कर अपीलांट को नियमानुसार 15 दिवस मे कब्जा दिलवाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 02.06.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(टीना डाबी)
जिला कलक्टर
जिला कलक्टर, टोंक
टोंक

न्यायालय जिला कलक्टर टोंक (राजस्थान)